रविवारीय

हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और जनप्रतिनिधि !

लक्ष्मण सिंह
(पूर्व सांसद)

हमारी संसद, विधान सभा अथवा अन्य लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे पंचायत , नगर पालिका ये हमारे प्रजातंत्र जो वर्षों संघर्ष और बलिदान के बाद हमें स्वतंत्र भारत में मिली हैं, हमारे प्रजातंत्र की नींव है, जिनका सम्मान करना हर नागरिक और विशेषकर उन लोगों का जो यहां चुन कर जाते हैं का दायित्व है! दुर्भाग्यवश इन संस्थाओं का दोहन स्वार्थ की नकारात्मक राजनीति और एक बहुत बड़े स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार का माध्यम बनती जा रही हैं! हम पंचायत चुनाव से समीक्षा की शुरुआत करते हैं, जो सबसे निचले परन्तु सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्थाओं की पहली कड़ी है!

हमारी पंचायत – पंचायत राज का विधेयक 1993 में कांग्रेस शासन काल में 73 वें संशोधन के पश्चात संसद में पारित हुआ और नरसिंहराव जी उस समय प्रधान मंत्री थे! यह सपना स्वर्गीय राजीव जी का था और महिलाओं को 33 ⅓ आरक्षण देना भी एक साहसपूर्ण कदम था और महिलाओं की इन संस्थाओं में भागीदारी की शुरुआत हुई! इस व्यवस्था का कई राज्यों में गुप्त विरोध हुआ और चुनी हुई महिला सरपंचों के स्थान पर उनके पति बैठकों में जाने लगे और उन्हें अनुमति भी कई वर्षों तक अधिकारी देते रहे जो पूर्णत: प्रजातंत्र का अपमान था और दंडनीय अपराध भी था! इस व्यवस्था को बदनाम करने के लिए ऐसे तत्वों ने जो महिला विरोधी थे, अधिकारियों के साथ मिलकर खूब भ्रष्टाचार किया जिसे अन्य पार्टियों ने भी अनदेखा किया और आज स्थिति यह है कि पंचायत चुनावों में धन,बल का उपयोग करके ही जीता जा सकता है, विकास के मुद्दों की तो बहुत कम चर्चा होती है! यही स्थिति जनपद और जिला पंचायतों की भी है जो धीरे–धीरे विधान सभा और लोकसभा में भी पहुंच गई है और अधिकतर बाहुबली या कालाधन वाले जन प्रतिनिधि वहां चुन कर जा रहे हैं जिनका व्यवहार ,भाषा हम टेलीविजन में देख रहे हैं !राजनीतिक दल भी अब एक बहुत अधिक राशि जो लाखों करोड़ों में होती है उम्मीदवारों से लेकर उन्हें टिकट देते हैं और कई राजनीतिक दल जिनमें अब कांग्रेस, जिसने यह कानून बनाया था वो भी शामिल हो गई है !राजनीति अब शुद्ध रूप से एक व्यवसाय हो गया है और राष्ट्रीय अथवा विकास की सोच और जज्बा कम देखने को मिलता है! फिर भी हमारा देश प्रगति कर रहा है क्योंकि आज भी कुछ नेता और अधिकारी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार से दूर रहकर देश की सेवा करते हैं और जिन्हें कई बार अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है! हमारा प्रजातंत्र ऐसे लोगों पर ही टिका है जिनसे हमारी युवा पीढ़ी को सीख लेना चाहिए!

नगर पालिकाओं में भी यही हाल है! कई शहरों में दूषित पानी पिलाया जा रहा है और कई लोग तो दूषित पानी पीने से मर भी गए हैं! शहरों में सबसे बड़ा घोटाला पेयजल और सीवर की पाइपलाइन बिछाने में होता है जिसकी जांच की रिपोर्ट आज तक विधान सभा में नहीं रखी गई क्योंकि विधान सभा को चलने नहीं दिया जाता है और मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि सभी राजनीतिक दल इस भ्रष्टाचार को दबाने में मिल जाते हैं, जो इन मामलों को उठाते हैं , उन्हें या तो टिकट अगले

चुनाव में नहीं दिया जाता या उन्हें सभी दल मिलकर हरवा देते हैं!

हमारी विधान सभा और संसद– देश की विधान सभाओं का विश्लेषण किया जाए तो अधिकतर विधान सभा के सत्र शोर शराबे के कारण स्थगित किए जाते हैं, आंकड़े इसका प्रमाण हैं! शोर शराबे की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सबको बोलने का समय दिया जाता है परन्तु अधिकतर विधायक बोलने के स्थान पर शोर मचाना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि कुछ समय के लिए वो टीवी में आ जाते हैं और दूसरा कारण यह है कि जिस विषय पर उन्हें बोलना होता है उसका अध्ययन वो नहीं करते जबकि हर विधान सभा में बहुत अच्छी पुस्तकें हैं जो धूल खा रही हैं और आज कल तो इंटरनेट पर भी सारी जानकारी उपलब्ध है जिसका अध्ययन कर अपना भाषण दिया जा सकता है, परन्तु ऐसा कम देखने को मिलता है!

संसद का विश्लेषण हम करें तो स्थिति और भी चिंताजनक है! यहां देश के प्रधानमंत्री को हजारों बार गाली दी गई है विपक्षी दलों द्वारा जिसका उल्लेख स्वयं प्रधानमंत्री कर चुके हैं, यह अति निंदनीय है! विपक्ष में इंदिराजी, राजीवजी, अटलजी जैसे नेता हुए हैं इन्हें उनसे सीखना चाहिए जिन्होंने कभी भी संसदीय मर्यादा या भाषा का उल्लंघन नहीं किया, कम से कम वर्तमान नेता प्रतिपक्ष उनसे ही कुछ सीखें जिनकी पहचान ही इंदिराजी और राजीवजी से है!! अभी कुछ दिन पहले हमने संसद, जंतर मंतर पर छात्रों द्वारा प्रदर्शन देखा जिसे बाद में असामाजिक तत्वों द्वारा हथिया लिया गया और दुर्भाग्यवश विपक्ष भी उस हिंसा का भागीदार बन गया और एक निम्न स्तर की राजनीति होने लगी ! जब हिंसा कोई करेगा तो पुलिस बल प्रयोग करती है और कई निर्दोष छात्रों को और सुरक्षा कर्मियों को चोटें भी आईं जो बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण हुआ !पेपर लीक कई बार हुआ है, कांग्रेस के समय भी हुआ है और आगे भी होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली में बहुत अंतर है और समान और अत्यंत महंगी शिक्षा होने के कारण छात्रों को न्याय नहीं मिलता है क्योंकि नीट परीक्षा में जो अधिक नम्बर लाते हैं वो अधिकतर अमीर घर के बच्चे होते हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो इस कठिन और अनावश्यक नीट परीक्षा में अधिक नम्बर ला पाते हैं! अनावश्यक मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब यह तथाकथित नीट परीक्षा नहीं होती थी तब भी डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य क्षेत्र में अपना नाम कमाते थे! हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जिनमें होमी भाभा अब्दुल कलाम जैसे कई महान वैज्ञानिकों ने विश्व में अपना स्थान बनाया है, क्या इन्होंने कोई नीट परीक्षा पास की थी? यह केवल मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रणाली या देश की अर्थ व्यवस्था में भागीदारी से वंचित करने का षडयंत्र है जिसे प्रधान मंत्री जी नहीं समझ पा रहे हैं और विपक्षी दलों को एक घटियां राजनीति करने का अवसर दे रहे हैं!

> भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं बने इसके लिए केंद्र शासन को एक नई शिक्षा नीति शीघ्र बनाने की आवश्यकता है जिसमें शिक्षा में सब वर्ग के छात्रों की भागीदारी रहे और सबका राष्ट्र निर्माण में सहयोग रहे, देश सबका है , केवल धनवानों का नहीं जो अपने धन और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण करोड़ों छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल देते हैं और जिनका दुरुपयोग हमारे दुश्मन करते हैं! छात्रों से भी मैं यही कहूंगा कि कानून का सम्मान करना सीखो! 2001 के संसद पर हमले में अपनी जान देकर संसद और सभी सांसदों की रक्षा करने वाले इन जैसे सुरक्षा कर्मी थे जिन्होंने अपनी जान देकर संसद, सांसदों की रक्षा की थी!!उस समय आप जैसे बच्चे , जिन्होंने आंदोलन किया है वो तो नन्हे शिशु रहे होंगे! आप लोग उन शहीदों के बलिदान का दर्द नहीं समझ पाएंगे उसे हम जैसे लोग ज्यादा समझेंगे जो उस समय संसद में मौजूद थे और केवल इन सुरक्षा कर्मियों के बलिदान के कारण आज जीवित हैं ,क्योंकि आतंकवादी संसद के गेट के अंदर तक आ गए थे !शहीदों का सम्मान करना सीखो और जो देश को बांटने का नारा लगाते हैं उन तत्वों से दूर रहो, तभी हम एक महान भारत का निर्माण कर पाएंगे और सभी को शिक्षा और रोजगार दे पाएंगे, सुरक्षा बलों पर हमला कर और उन्हें घायल कर के नहीं!! जनप्रतिनिधि भी अपने आचरण और व्यवहार बदलें, बच्चे आपको देख कर भी बहुत कुछ सीखते हैं! बच्चों देश को तुमसे उम्मीद है क्योंकि तुम देश का भविष्य हो, तुम अपने आप को बदल सकते हो नेताओं से जनता को बहुत कम उमीद है कि वो बदलेंगे, नेता जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे!!
>
> **जय हिंद!!**

व्यंग्य

छोरियां हमारी कमाल की हैं...!

रवि उपाध्याय
(लेखक व्यंगकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

भारत की छोरियां भी खूब कमाल की हैं. इन दिनों ये छोरियां विदेशों के साथ हमारे देश में भी कमाल के झंडे गाड़ रहीं हैं. विदेशों की बात की जाए तो इन दिनों हमारी छोरियां स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में रोज नए रिकॉर्ड बना रहीं है. अभी तक दो महिला खिलाड़ियों मीरा बाई चानू और शर्मिला धनख? ने वेटलिफ्टिंग और शॉट पुट गेम्स में सोना जीतने का कमाल कर दिखाया है. हमारे यहां की छोरियों और उनकी अम्माओं की सोने के प्रति ललक किसी से छुपी हुई नहीं है.

एक तरफ जहां स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं वहीं हमारे यहां दिल्ली में भी कॉकरोचों का गेम चल रहा है. इसमें कई गर्ल्स कॉकरोचनी भी शामिल होने आईं. इनने जंतर मंतर पर समाँ ही बांध दिया. लोग मंच पर चल रहे विजेता दहिया के कॉमेडी शो और डांस को नहीं बल्कि मंच के नीचे मैदान में चल रहे शो को देखने में अधिक रुचि रखे हुए थे. यहां हमारी छोरियों ने वो-वो कमाल की गालियों की नुमाइश की कि वहां मौजूद तमाशबीनों ने अपनी उंगलियां दांतों तले दबा लीं. मुझे भरोसा है कि इन छोरियों के हाथों में देश का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है. छोरियों ने भाई कसम से ऐसी ऐसी ओपन ओपन गालियां बकी हैं कि भई बस तबीयत ही खुश हो गई. इस मामले में भी छोरियों ने हमारे छोरों की नाक काट कर रख दीं. ये छोरे साले उनकी गालियाँ सुन सुन कर बस ताली ही ठोकते रह गए. भाई यूं तो गालियों के मामले में पूरे देश में हमारे भोपाल और हैदराबाद का कोई सानी नहीं है पर अब पता चल गया कि हम कहीं नहीं लगते.

क्या गजब बात है भाई. अभी तक तो देश के कई बुद्धिजीवी सरकार से यही मांग करते रहे हैं कि स्कूल कॉलेजों में सेक्स एजुकेशन को शामिल किया जाए. वो मांग करते ही रह गए और यह सैक्स एक्सपर्ट्स का नया बैच सामने भी आ गया. इन लोगों जिस तरह से नई- नई गालियों का आविष्कार किया है वो काबिल ए तारीफ़ है. इन्ही ही सैक्स एजुकेटर्स रख लिया जाना चाहिए .इन छोरियों के मुखारविन्द से इतनी खुली खुली गालियों को सुनकर लगता है कि सरकार को उन शैक्षणिक संस्थाओं की खोज करना चाहिए जहां इस तरह की सैक्समयी गालियां सिखाई गईं हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं गालियां देने में जरा भी झिझक नहीं है. इन छोरियों की निडरता काबिल ए तारीफ़ है. इन्होंने देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद पर बैठे व्यक्ति को भी अपनी सेक्स मयी गलियों से नवाजा. वेलडन छोरियों, वेलडन.

तुमने अपनी इस नव अन्वेषित गलियां देने की कला से न केवल अपने माता, पिता, परिवार, अपने शहर, प्रदेश का ही नाम रोशन किया बल्कि तुमने राष्ट्र को भी गौरवान्वित किया है. यह समाज तुम्हारा सदैव सदैव ऋणी रहेगा. धन्य हैं वो माता पिता जिन्होंने यह अनमोल अशर्फियां पैदा की है.इस का पहला श्रेय तो उन माँओं को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने इन प्रतिभाओं को कितनी कितनी मुश्किलों से इन्हें तराशा होगा. लगता है कि इनमें यह प्रतिभा गर्भावस्था के दौरान ही आई होगी. अभिमन्यु की तरह इनके पिता सोए नहीं होंगे. उन्होंने गालियों का पूरा कोर्स सुनाने के बाद ही दम लिया होगा. इन प्रतिभाओं को खोज का श्रेय अभिजीत दिपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और पर्दे के पीछे के बड़े कलाकार मफलर मेन को दिया जाना चाहिए. सौरव ने भी सवाल उठाया है कि देश में गालियां देना गुनाह कहाँ से हो गया. यह तो न्यू नॉर्मल है.

एग्रो–होम्योपैथी कृषि क्षेत्र की नई संभावना

ऋतुपर्ण दवे

होम्योपैथी एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति जरूर है, लेकिन बहुत ही तेजी से लोकप्रिय भी हो रही है. यह रोगी के समग्र स्वास्थ्य जिसमें मानसिक और शारीरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करके प्राकृतिक रूप से शरीर की रोग–प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की ताकत होती है. होमियोपैथी को एक सुरक्षित चिकित्सा पद्धिति माना जाता है क्योंकि इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं. लेकिन सोचिए, यही होमियोपैथी यदि कृषि के क्षेत्र में भी उपयोगी साबित हो तो इसे किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता. इन दिनों दुनिया भार में एग्रो–होमियोपैथी पर लेकर न केवल बड़े–बड़े शोध चल रहे हैं बल्कि तेजी से उपयोग भी बढ़ रहा है. भारत भी इससे अछूता नहीं है.

कृषि क्षेत्र में इसका सफल प्रयोग कई दशकों से हो रहा है. इसकी शुरुआत हालाकि शौकिया तौर पर हुई, लेकिन जब इसके फायदे नजर आने लगे तो तेजी से शोध और परीक्षण भी होने लगे और लोगों की इसको लेकर उत्सुकता भी बढ़ी. अब नतीजे भी दिखने लगे हैं. होम्योपैथी दवाओं के टिंचर की कुछ बूंदे थोड़े से पानी में मनुष्यों को देकर यह विश्वास उत्पन्न किया जाता है कि यह बीमारी की जड़ तक पहुंच उसका समाधान करता है. बस यही फॉर्मूला कृषि क्षेत्र में भी अपनाया जा रहा है.

वास्तव में होम्योपैथिक दवाएं बैक्टीरिया या कीटों को सीधे नहीं मार, पौधों की अपनी जैविक प्रणालियों को प्रभावित करती हैं जिससे वो अपना प्राकृतिक रक्षा तंत्र, जरूरत के हिसाब से विकसित और सक्रिय कर पाते हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर में होम्योपैथी का उपयोग उसी सिध्दांत पर आधारित है जिसमें

किसी बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए धीरे–धीरे डायल्यूट दवाओं से किसी बीमारी को काबू किया जाता है जिससे वह जड़ से ही समाप्त हो जाती है. यह पौधों की आनुवंशिक गतिविधियों और चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रेरित कर सकता है, जिससे रक्षा प्रणालियां सक्रिय होती हैं.

देश में एग्रो–होम्योपैथी को लेकर पुडुचेरी प्रयोग खासा सफल और चर्चाओं में है. श्री अरबिंदो सोसाइटी (एसएएस) की अगुवाई में एक नई पहचान बन रही है. एग्रो–होम्योपैथी से दोहरा लाभ भी सामने आया. जहां पानी की खपत घटी और इस कारण भूजल स्तर भी बढ़ा. 2018 में शुरू हुई आहार परियोजना में कृषि क्षेत्र में होम्योपैथी के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए शुरु हुए इस प्रोजेक्ट की सफलता का अंदाज इसी से लगता है कि कुछ ही समय में इसे नाबार्ड और उसके बाद टाटा ट्रस्ट का समर्थन मिला.

वैज्ञानिक प्रयोगों के बाद जब यह फॉर्मूला खेतों में पहुंचा तो वहां भी बेहद असरकारक रहा. पहले भिंडी उसके बाद धान की उपज में काफी सकारात्मक परिणाम आए. उत्साहित वैज्ञानिकों ने तीनों सीजन रबी, खरीफ और जायद में भी इसकी क्षमता को आजमाया और सकारात्मक नतीजे हासिल किए.इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ी जिससे रसायनों पर निर्भरता घटी.

सर्वविदित है कि खेतों में उर्वरकों का छिड़काव करने से मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को नुकसान होता है लेकिन कृषि–होम्योपैथी के मिश्रण ने पत्तियों को नई जान तो दी साथ ही पौधों की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाई. शोधकर्ताओं ने कृषि–होम्योपैथी की लागत को बेहद सस्ती पाया. पहले जहां कृषक 20 से 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर रसायनों पर व्यय करता था, वही होम्योपैथिक दवाओं पर केवल 700 रुपए प्रति हेक्टेयर ही खर्च कर और भी बेहतर परिणाम हासिल करने लगा. यह कमाल ही था जो होम्योपैथिक दवाओं की चंद मिलीमीटर दवाओं ने सैकड़ों लीटर पानी में घुले रसायनों पर भारी पड़ कर असर दिखाया. इससे खेती में हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल रुकने से फसल की चमक और पुष्टता भी बेहतर हुई जिससे किसानों को उपज की अच्छी कीमत मिलने लगी.

होम्योपैथी दवाएं वनस्पतियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को जबरदस्त बढ़ाती हैं. इससे वनस्पतियां, फसल होने वाली बीमारी को अपने आप ठीक कर लेते हैं. एग्रो–होम्योपैथी में अलग–अलग और बेहद सस्ती चंद मिलीमीटर दवाएं बीजों के अंकुरण से लेकर रोगों से बचाव और फूलने–फलने को बेहतर बनाने में कारगर सिध्द हो रही है. ये दवाएं कीट प्रबंधन की दिशा में भी काफी सफल हैं. यहां तक कि फसल में वायरस या बैक्टीरिया के दुष्प्रभावों पर भी असरकारक हैं.

वह दिन दूर नहीं जब निरंतर शोध और प्रयोगों के बाद एग्रो–होम्योपैथी की भी ढेरों और अलग–अलग शाखाएं बनना तय है. यह भविष्य का वृहद कृषि पारिस्थितिकी तंत्र होगा. इसमें भी उपचारों की अलग–अलग विधियां होंगी. लेकिन इतना तो तय है कि रसायनों और उर्वरकों के बोझ से आहत मिट्टी को यदि कोई नया जीवन और जहरीले तत्वों से मुक्ति दिलाएगा तो वह होगा भविष्य का एग्रो–होम्योपैथी सेक्टर जहां मिट्टी, पानी अपने मूल स्वरूप में आकर फिर से हमारी प्रकृति में नया जोश भरने का काम करेंगे.

अधिकार, सम्मान और आत्मनिर्भरता से बढ़ रही नारी

प्रो. चेतना

आजादी केवल बेड़ियों से मुक्ति नहीं, बल्कि अपने सपनों को अपनी शर्तों पर जीने का साहस है. जब भी हम आजादी की बात करते हैं, तो हमारे मन में एक ऐसे भारत की तस्वीर उभरती है जहाँ हर नागरिक को समान अवसर, सम्मान और अपने जीवन के निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो.

बीते दशकों में भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है तथा विश्व मंच पर अपनी सशक्त पहचान बनाई है. लेकिन विकास की इस चमकके बीचआधी आबादी केअंतर्मन में एक सवाल आता है—क्या भारत की प्रत्येक महिला वास्तव में आजाद है ?मेरी नज़र में आजादी का अर्थ केवल किसी भौतिक बंधन से मुक्त होना ही नहीं है बल्कि मानसिक बंधन से भी आजादीहै 7 सच्ची आजादी वह है, जहाँ व्यक्ति बिना किसी भय, भेदभाव या सामाजिक दबाव के अपने विचार व्यक्त कर सके, अपनी शिक्षा और करियर का चयन स्वयं कर सके, अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो तथा सम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन जी सके. महिलाओं के संदर्भ में यह अर्थ और भी व्यापक हो जाता है. उनके लिए आज़ादी केवल घर से बाहर निकलने या नौकरी करने तक सीमित नहीं है; यह शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सुरक्षित वातावरण, डिजिटल पहुँच, समान अवसर और आत्मसम्मान से जुड़ा एक समग्र अधिकार है. आखिर, महिलाऐं आजदी की उम्मीद किससे कर रहीं है. स्वमयं से या फिर पुरूषों से या फिर एक अव्यरवस्था से जो महिला पुरूष में भेद करती हो.

कल्पना कीजिए एक ऐसी महिला की, जो उच्च शिक्षित है, आर्थिक रूप से सक्षम भी है, लेकिन अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं नहीं ले सकती. क्या उसे वास्तव में आज़ाद कहा जा सकता है? यदि उसकी आय पर उसका अधिकार न हो, यदि उसके करियर, विवाह या मातृत्व से जुड़े निर्णय कोई और तय करे, यदि उसे हर कदम पर अपनी सुरक्षा और सामाजिक स्वीकृति की चिंता करनी पड़े, तो उसकी उपलब्धियाँ अधूरी ही मानी जाएँगी. वास्तविक आज़ादी वही है, जहाँ अधिकार केवल कागज़ों तक सीमित न रहें, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएँ.

सकारात्मक पक्ष यह है कि भारत में महिलाओं की स्थिति निरंतर बदल रही है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़े बताते हैं कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 33.3 प्रतिशत से बढ़कर 64.3 प्रतिशत हो गया है. स्वयं बैंक या बचत खाते का संचालन करने वाली महिलाओं की संख्या 78.6 प्रतिशत से बढ़कर 89.0 प्रतिशत तक पहुँच गई है, जबकि मोबाइल फोन का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत भी 53.9 से बढ़कर 63.6 हो गया है.

ये परिवर्तन केवल आँकड़ों की वृद्धि नहीं हैं, बल्कि महिलाओं की बढ़ती डिजिटल जागरूकता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और अपने विचारों को साझा करने का एक माध्यीम है जिससे महिलाओं के अंतर्मन को समझा जा सके.

आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन की नई तस्वीर दिखाई देती है. 2025के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की श्रमबल भागीदारी दर 40 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है. नियमित वेतनभोगी रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, उनकी आय में वृद्धि दर्ज की गई है और शहरी क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी दर में भी कमी आई है. यह इस बात का संकेत है कि भारतीय महिलाएँ केवल कार्यस्थलों तक ही नहीं पहुँच रही हैं, बल्कि आर्थिक विकास की भागीदार भी बन रही हैं. लेकिन कितनी वो भी आजादी के 79 वर्ष के बाद कितना और इंतेजार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उत्साहजनक परिवर्तन देखने को मिलते हैं. एनएफएचएस के अनुसार किशोरियों और युवतियों में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छ साधनों के उपयोग में वृद्धि हुई है. यह केवल स्वास्थ्य संबंधी आँकड़ा नहीं, बल्कि जागरूकता, गरिमा और बेहतर जीवन–गुणवत्ता की दिशा में बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है. क्या ये उपलब्धियाँ महिलाओं की पूर्ण आज़ादी का प्रमाण हैं? शायद नहीं. आज भी लाखों महिलाएँ ऐसी हैं, जिन्हें अपने सपनों और पारिवारिक अपेक्षाओं के बीच समझौता करना पड़ता है.

राष्ट्रीय सम्मान की नई परिभाषा

वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने की पहल

अभिनव पी. धनोडकर
(पूर्व उप महाधिवक्ता)

भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का भी आंदोलन थी. इस चेतना को जागृत करने में अनेक राष्ट्रीय प्रतीकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें वंदे मातरम का स्थान अत्यंत विशिष्ट है.

बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक बनकर उभरा. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान तथा वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया. यद्यपि दोनों को राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक माना गया, लेकिन विधिक संरक्षण के मामले में दोनों के बीच अंतर बना रहा. इसी पृष्ठभूमि में संसद में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय गीत को भी वैधानिक सुरक्षा प्रदान करना है.

राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा और सम्मान की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था. इस अधिनियम में राष्ट्रीय ध्वज, संविधान तथा राष्ट्रीय गान के अपमान अथवा उनके प्रति जानबूझकर अनादर प्रदर्शित करने वाले कृत्यों को दंडनीय बनाया गया है. अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय गान के गायन को रोकता है या उसके दौरान व्यवधान उत्पन्न करता है, तो उसे तीन वर्ष तक का कारावास, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है. हालांकि, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संबंध में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. परिणामस्वरूप राष्ट्रीय गीत के सार्वजनिक गायन में जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करने पर वर्तमान कानून के अंतर्गत समान दंडात्मक कार्रवाई का आधार उपलब्ध नहीं था. यही वह विधिक कमी है जिसे यह संशोधन दूर करने का प्रयास करता है.

प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य नया अपराध सृजित करना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गीत को उसी कानूनी संरक्षण के दायरे में लाना है जो राष्ट्रीय गान को पहले से प्राप्त है. विधेयक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति

जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकता है, सभा में बाधा उत्पन्न करता है या व्यवस्थित रूप से उसके गायन को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध वही दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी जो राष्ट्रीय गान के मामलों में लागू होती है. महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस विधेयक में कहीं भी नागरिकों के लिए वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं किया गया है. यह केवल उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान करता है जो जानबूझकर सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय गीत के सम्मान को ठेस पहुँचाने वाले कृत्य करते हैं.

भारतीय संविधान राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को नागरिकों के नैतिक दायित्व के रूप में स्वीकार करता है. संविधान के अनुच्छेद 51(क) में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के अनुसार प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान सहित राष्ट्र के आदर्शों एवं संस्थाओं का सम्मान करे. यद्यपि राष्ट्रीय गीत का नाम मौलिक कर्तव्यों में पृथक रूप से उल्लिखित नहीं है, फिर भी संविधान सभा द्वारा उसे प्रदान किया गया राष्ट्रीय दर्जा उसके सम्मान को समान महत्व प्रदान करता है. दूसरी ओर अनुच्छेद 19 प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है. इसलिए किसी भी दंडात्मक कानून का उद्देश्य नागरिकों को किसी विचार या गीत को अपनाने के लिए बाध्य करना नहीं हो सकता.

प्रस्तावित संशोधन इसी संवैधानिक संतुलन को बनाए रखते हुए केवल जानबूझकर किए गए अवरोध या व्यवधान को दंडनीय बनाने का प्रयास करता है. यह संशोधन केवल एक कानूनी परिवर्तन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत को विधिक मान्यता देने का प्रयास भी है. वंदे मातरम ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान लाखों भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया और अनेक आंदोलनों का उद्घोष बना. ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक को वैधानिक संरक्षण प्रदान करना राष्ट्र की ऐतिहासिक स्मृति और संवैधानिक मूल्यों दोनों के अनुरूप माना जा सकता है. इसके अतिरिक्त यह संशोधन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के बीच लंबे समय से चली आ रही कानूनी असमानता को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

> राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को विधिक संरक्षण प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी पहल है. यह संशोधन राष्ट्रीय गीत की ऐतिहासिक भूमिका, स्वतंत्रता संग्राम में उसके योगदान और राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को विधिक मान्यता प्रदान करता है. साथ ही यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के पूरक मूल्य हैं. यदि यह संशोधन संवैधानिक मर्यादाओं, निष्पक्षता और विवेकपूर्ण ढंग से लागू किया जाता है, तो यह राष्ट्रीय एकता, नागरिक उत्तरदायित्व और संवैधानिक देशभक्ति को और अधिक सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.